

प्रमाणित है कि प्रमाणित करता है कि उक्त संगति को प्रमाणित करने वाले संस्थानों और अर्थों के बारे में गहरी और उससे सम्बन्धित जानकारी में ता. 1.1.2005 से ता. 27-5-2015 तक संचालित की गई और संशोधित करने के बाद निम्न संस्थानों और अर्थों का एक सार प्रमाणित करता है।

~~27/6/15~~

1. दाखाने के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. संभव-पत्र को दाखाने के लिए और भुगतान को अवधि दर्ज करें। बर्तों को उनके बारे में उल्लेख करें।
3. पट्टे को दाखाने के लिए और वार्षिक लगान दर्ज करें।

यह प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संभव-पत्रों और अवधियों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संभव-पत्र और अवधि का दाखाना नहीं किया है।

निम्न व्यक्ति ने तल्लुकी को प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): *Satyendra Narayan Sgl.*

(पदनाम):

तल्लुकी के सहायक और प्रमाण के साथ निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): *जगमल शर्मा*

(पदनाम):

कार्यालय: *अवर निबंखन कार्यालय, महुआ*

दिनांक: *27-5-2015*

दिये गए प्रमाण-पत्र में जो संभव-पत्र और अवधियाँ दिखाए गए हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाए गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण में भ्रम विवरण देकर किसी भी संपत्ति को विकसित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसो दस्तावेजों में प्रमाणित संभव-पत्र (दाखाने-तल्लुकी) इन प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जाएंगे।

2. दाखाने अवधि-पत्र का प्रमाण-पत्र के अधीन जो व्यक्ति (वाहकों) और अनुक्रम-पत्र (इन्वेन्टरी) को प्रदर्शित देखा जा रहा है अथवा रखने प्रदर्शनांग सेवा करता है कि वह निदेश संपत्ति के अवधियों के प्रमाण-पत्रों को ज़रूरत हो उनके तल्लुकी में रखे करनी होगी। बिना फॉर्म का भुगतान करने पर वाहकों और अनुक्रम-पत्रों को तल्लुकी में रखने से रोक दिया जाएगा।

✓ यदि कोई भी तल्लुकी में आवेदक ने स्वयं तल्लुकी नहीं की है, इसलिए कार्यालय अपेक्षित तल्लुकी प्रमाण को किसी भी तल्लुकी के लिए किसी भी तल्लुकी में नहीं होगा।

✓ (ख) और यदि तल्लुकी में आवेदक ने अपेक्षित तल्लुकी रखी है, और यदि उसके बाद दूँद गये संभव-पत्रों और अवधियों को सहायक के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए तल्लुकी आवेदक द्वारा दूँद गये संभव-पत्रों और अवधियों को स्टू के लिए किसी तरह लिम्बेट न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ा हो।

कार्यालय, निम्न निबंखन कार्यालय, महुआ

आवेदक: *325* दिनांक: *27-5-15*

आवेदक की: *जागेर शाय आली (जी० ए० को० ज)*

का अवधि प्रमाण-पत्र द्वारा: *जागेर शाय आली (जी० ए० को० ज) मासपुरा*

का उक्त पत्र संख्या: *४* दिनांक: *25-5-2015* के प्रसंग में अप्रसारित की जाती है।

*निबंधन पदाधिकारी,*